केवल भा0 ले0 एवं ले0प0 के प्रयोग हेतु

वन विभाग, उत्तराखण्ड की प्राप्तियों की स्थानीय लेखापरीक्षा हेतु अनुदेशों की नियमपुस्तिका

(प्रथम संस्करण)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड

देहरादून

प्रस्तावना

यह वन विभाग, उत्तराखण्ड की प्राप्तियों की स्थानीय लेखापरीक्षा हेतु अनुदेशों की नियमपुस्तिका का प्रथम संस्करण है । इस नियमपुस्तिका में सम्बन्धित विषय में शामिल सरकार/विभाग, प्राधिकारी के नवीनतम आदेश को समावेशित किया गया है ।

राजस्व क्षेत्र यथाआवश्यक सुधारपर्ची जारी कर नियमपुस्तिका को अद्यतन करेगा । इस नियमपुस्तिका में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी से लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त व्यवहारिक अनुभव को ध्यान में रखते हुये संशोधन अथवा सुधार का स्वागत किया जायेगा ।

वन प्राप्तियों की नियमपुस्तिका में मुख्यतया वन प्राप्तियों से सम्बन्धित प्रावधान एवं नियम शामिल है तथापि क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दलों के मार्गदर्शन हेतु प्राप्तियों एवं व्यय दोनों की नियमपुस्तिका में शामिल कुछ अध्यायों जैसे वन विभाग का संगठन, लेखापरीक्षा कार्मिकों (मुख्यालय) के कार्य एवं कर्तव्य तथा लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के आलेखन से सम्बन्धित अनुदेशों को लेखापरीक्षा दलों के मार्गदर्शन हेतु शामिल किया गया है ।

इस नियमपुस्तिका के प्रावधानों को लेखापरीक्षा आपत्ति को उठाते समय प्राधिकार के रूप में उल्लेख न किया जाये । क्षेत्रीय दलों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तराखण्ड नियमावली, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VII में शामिल सम्बन्धित प्रावधानों एवं नियमों तथा राज्य सरकार तथा वन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अध्ययन करे । जहां आवश्यक हो, समर्थन में केवल इनका उल्लेख किया जाये ।

देहरादून
दिनांकः .07.2020

(एस0 आलोक)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
उत्तराखण्ड